कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0)

Email Id: jdedu.bastar@gmail.com
Phone Number & Fax No: 07782-29914

क्रमांक / अशास. / मान्य.नवीनी. / JDLPR / 2022 / 2626 जगदलपुर, दिनांक 05 / 04 / 2022

प्रति,

प्राचार्य,

निर्मल हायर सेकेण्डरी स्कूल जगदलपुर,

जिला बस्तर।

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19, के प्रयोजन के लिए नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ – आपका पत्र कं / 31 / मान्यता / 2021–22, दिनांक 24.03.2022

–00–

प्राचार्य / नोडल अधिकारी शास.उ.मा.वि. भगतसिंह, जगदलपुर, जिला बस्तर के पत्र कमांक / 251 / 2022, जगदलपुर, दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निर्मल हायर सेकेण्डरी स्कूल जगदलपुर, जिला बस्तर (यू. डाईस – 22153308655) को कक्षा **नर्सरी से कक्षा 12 वीं** तक नवीनीकरण (CBSE बोर्ड के अंतर्गत) सत्र **2022–23 से 2024–25 तक कुल तीन वर्षों** के लिए **अंग्रेजी माध्यम** विद्यालय की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश कमांक एफ–02–39 / 2019 / 20–दो, अटल नगर, दिनांक 13.11. 2019 के परिपालन मे निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :–

<u>मान्यता / नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें</u>

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उललेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No Loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी / विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

5. पूर्व मे तैयार किये गए प्रतिभूति पत्रक रू. 1,00,000/– को संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर और प्राचार्य, निर्मल हायर सेकेण्डरी स्कूल जगदलपुर के संयुक्त नाम से संशोधित कराकर तीन माह के भीतर पूर्ण करके संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर को सूचित करना होगा।

6. विद्यालय भवन मे अनिवार्यतः दिव्यांगजनों के लिए रैंप एवं हैण्डिल, शौचालय का निर्माण करके अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

7. जल संवर्धन हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया जावे।

8. संयुक्त संचालक, शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित 02 शासकीय सेवकों की सूची लगावें अथवा नाम प्रस्तावित कर अनुमोदन प्राप्त कर लेवें।

9.. विद्यालय अधिनियम की **धारा 19** मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिए निम्नलिखित अंधोसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन – प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिए पृथक–पृथक कक्ष।
- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
- बाधारहित पहुंच मार्ग, आदि।
- कीडा, खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोगशाला की पृथक–पृथक उपलब्धता।

10. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।

11. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया

जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/ऑडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।

12. आपके विद्यालय को **यू डाईस** – 22153308655 को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
13. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारिणी की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए हों।
14. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
15. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति मे संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं.शिंक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित मे कारण सहित संसूचित करने होंगे।
16. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
17. कोविड 19 के संबंध मे छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुए शाला का संचालन करना होगा।

संयुक्त संचालक, शिक्षा,
संभाग बस्तर, जगदलपुर.

पृ. क्र./अशास./मान्य.नवीनी./ JDLPR /2022/2627 जगदलपुर, दिनांक 05/04/2022

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला .... को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक, शिक्षा,
संभाग बस्तर, जगदलपुर.